



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofolk@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/32/2016/एफ0सी0/358

T.C.
01/11/16
C.S.F.
2-11-16

दिनांक : 01-11-16

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम-निघौली खुर्द के खसरा संख्या-999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-2233/14-2-2016-800 (39)/2016, दिनांक-17.10.16

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-18.04.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण से संबंधित भूसंदर्भित मानचित्र की .kml file की सी0डी0 खुल नहीं रही है, अतः स्पष्ट एवं सही सी0डी0 प्रस्तुत की जाए।

इसके अतिरिक्तप्रस्ताव के क्षेत्रफल में संशोधन भी हुआ है पूर्व क्षेत्रफल 0.0768 हे0 के स्थान पर 0.0794 हे0 संशोधित हुआ है किन्तु प्रकरण में संलग्न सभी प्रमाण पत्र संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, अतः प्रकरण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र इत्यादि संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत करें।

उक्त कम में यह भी सूचित करना है कि प्रकरण के ऑनलाइन विवरण (Online Version) में भी संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार Update नहीं किये गये हैं, जिसे Update किया जाए।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय प्रबन्धक, यू0पी0 (वेस्ट), एस्सार ऑयल लि0, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ0 प्र0।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 974 /एटा/13100/2015, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 07, 2016

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार निराकरण कर तथा संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर वांछित संशोधित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार ऑनलाइन एवं संशोधित अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक, एटा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।